

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर (म0प्र0)

— ::परिपत्र :: —

क्रमांक: 2922 / दो-11-2/24

सागर, दिनांक 25/06/2024

प्रति,

समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण,
जिला न्यायालय सागर म.प्र.

विषय:— कार्यालयीन समय में कर्तव्य पर उपस्थित होने बावत्।

—000—

प्रायः यह देखने में आया है कि तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण नियत कार्यालयीन समय पर कर्तव्य पर उपस्थित न होकर विलम्ब से उपस्थित होते हैं, जिससे न्यायालयीन एवं अनुविभागीय कार्य विलंब से प्रारंभ किया जाता है।

अतः समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालयीन समय 10:30 बजे तक कर्तव्य पर उपस्थित होकर फेस रिकार्डिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करें। भविष्य में निर्धारित समय पर कर्तव्य पर उपस्थित न होने वाले कर्मचारियों के अवकाश खाते से नियमानुसार तीन दिवस से अधिक विलंब से उपस्थित होने पर एक दिवस का आकस्मिक अवकाश का कटौती किया जावेगा साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

25/06/2024
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला सागर म. प्र.